न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 20/2017
RCMS Case No. 2017/00183

प्रार्थी:—
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :—
1 दीपक कुमार पुत्र मदनलाल भाटी वार्ड नं. 12 कुम्हारों का चौक, नोखा, बीकानेर
2 मैसर्स जयश्री कृष्णा प्रोडक्ट्स, एफ. 41 रिको, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :—
1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

—: निर्णय :—

दिनांक 25/9/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 21.05.2014 को अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना पली के पत्रांक 2872 दिनांक 21.05.2014 के द्वारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सूचना प्राप्त हुई कि पिकअप संख्या आर0जे0 07 जीबी 4453 को निरीक्षण हेतु पुलिस विभाग द्वारा रूकवाया गया, जिसमें घी (श्रीसरस) एवं घी (गोवंश) ब्राण्ड में मिलावट का संदेह होने पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली में अनुसंधान प्रक्रिया के कारण एक वर्ष से अधिक समय होने के कारण श्रीमान खाद्य आयुक्त एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये पत्रांक/ एफ.एस.एस.ए./स.सी./2017/231 दिनांक 28.02.2017 के द्वारा उक्त प्रकरण कोड संख्या आर–303 खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड गोवंश) में समय सीमा विस्तारित करने के कारण हस्तगत

अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
पाली

प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त दिनांक को वाहन के साथ सप्लायर अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त सामग्री का विक्रेता मानते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में वाहन में रखे हुए घी (श्रीसरस) 01 लीटर के पेक में 225 पैकेट, जो 15 बॉक्स में 15 लीटर पाया गया एवं 15 किलों के 21 टिन पाये गये एवं घी (गोवंश) 1 लीटर के कुल 96 पैकेट जो 6 बॉक्स में था, जिसमें 1 बॉक्स में 16 पैकेट 1 लीटर के थे, में से गोवंश ब्राण्ड के 1 लीटर के 4 पैकेट वास्ते जांच क्रय कर, उक्त क्रयसुदा घी (गोवंश ब्राण्ड) को प्रक्रिया अनुसार चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–303 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी (गोवंश ब्राण्ड) को Misbranded का माना है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded स्तर के घी (गोवंश ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.05.2014 को अप्रार्थी के वाहन से घी (गोवंश ब्राण्ड) को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–303 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./298/एक्ट/2014/318 दिनांक 26.06.2014 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–303 को Misbranded स्तर का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Misbranded खाद्य वस्तु घी (गोवंश ब्राण्ड) का विर्निमाण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 2 पर 2,00,000/– अक्षरे दो लाख रूपये कुल 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली